

20¹⁰/₂₀

डिप्लोमा के अतिरिक्त अपात्र रिज्यो-
नी तलेकी हेतु माफिक आदेश नोटि-
मय खर्च पेसा मध्ये किया है,
अधिक वेत हेतु पर्याप्त समय दिया
गया है। डिप्लोमा की यह डिप्लो-
मायालय होकर की अपात्रता में
खारिज की जाती है। प्रवावली
केवल शुमार होकर नम्बर से कम
हैं व दाखिल इफ्तार हैं।


जिला कलक्टर
बामनेर

